

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह
अल-मुनज्जिद

21249 - कुफ्र और उसके भेद

प्रश्न

मैं ने प्रश्न संख्या (12811) में पढ़ा है कि कुफ्र-अक्बर जो आदमी को धर्म से निष्कासित कर देता है, उस के कई भेद (क्रिस्में) हैं। आप से अनुरोध है कि उन को स्पष्ट करें और उनका उदाहरण भी दें।

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

अल्लाह की प्रशंसा और गुणगान के बाद :

कुफ्र की यथार्थता और उसके भेदों के विषय में बात लम्बी है, किन्तु हम यहाँ पर निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से उन के बारे में सार रूप से बात करेंगे :

प्रथम : कुफ्र और उसकी क्रिस्मों के बारे में जानकारी का महत्व :

कुरआन व हदीस के नुसूस (मूल शब्द) इस बात पर दलालत करते हैं कि दो बातों के बिना ईमान शुद्ध और स्वीकृत नहीं हो सकता - वही दोनों ला-इलाहा-इल्लल्लाह की गवाही का अर्थ भी हैं- और वह दोनों बातें हैं एकेश्वरवाद (तौहीद) को मानते हुए अपने आप को अल्लाह के प्रति समर्पित कर देना, और हर प्रकार के कुफ्र और शिर्क से लाताल्लुकी और बराअत (अलगाव) का प्रदर्शन करना।

और मनुष्य के लिए किसी चीज़ से बराअत और अलगाव का प्रदर्शन करना और उस से बचाव करना उस वक्त तक संभव नहीं है जब तक कि उसे उस के बारे में अच्छी तरह जानकारी और पुख्ता ज्ञान न हो। इस से पता चला कि तौहीद का ज्ञान प्राप्त करना कितना ज़रूरी है ताकि आदमी उस पर अमल कर सके और उसके अनुसार अपने आप को ढाल सके, तथा शिर्क के बारे में भी जानकारी हासिल करना आवश्यक है ताकि आदमी उस से बचाव कर सके और दूर रहे।

द्वितीय : कुफ्र की परिभाषा :

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह
अल-मुनज्जिद

कुफ़्र का शाब्दिक अर्थ : किसी चीज़ को छुपाने और ढांकने के हैं।

शरीअत की शब्दावली में कुफ़्र की परिभाषा : "अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान न रखना, चाहे ईमान न रखने के साथ झुठलाना भी पाया जाता हो या उसके साथ झुठलाना न पाया जाता हो बल्कि संदेह और शंका हो, या हसद या घमण्ड या रिसालत (ईशदूतत्व) के अनुसरण से रोकने वाली इच्छाओं के पीछे चलने के कारण ईमान से मुँह मोड़ना हो। अतः कुफ़्र हर उस व्यक्ति का गुण (विशेषण) है जिस ने जानकारी रखने के बाद भी उन में से किसी एक चीज़ को भी नकार दिया जिस पर अल्लाह तआला ने ईमान लाना अनिवार्य किया है, चाहे उसने केवल अपने दिल से इंकार किया हो, या केवल जुबान से नकारा हो, या दिल और जुबान दोनों से एक साथ नकारा हो, या उस ने कोई ऐसा काम किया जिस के बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण (नस) आया है कि उसका करने वाला ईमान की संज्ञा से बाहर निकल जाता है।" देखिये : मज्मूअल फतावा, लेखक :शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिय्यह 12/335 तथा अल-एहकाम फी उसूलिल-अहकाम, लेखक :इब्ने हज्म 1/45

इब्ने हज्म अपनी किताब 'अल-फिसल' में कहते हैं : "जिस चीज़ के बारे में विशुद्ध रूप से प्रमाणित है कि उसकी पुष्टि किये बिना ईमान नहीं है तो उस में से किसी भी चीज़ को नकारना कुफ़्र है, जिस चीज़ के बारे में विशुद्ध रूप से प्रमाणित है कि उस का बोलना कुफ़्र है तो उसका बोलना कुफ़्र है और जिस चीज़ के बारे में विशुद्ध रूप से प्रमाणित है कि वह कुफ़्र है तो उस पर अमल करना कुफ़्र है।"

तीसरा : धर्म से निष्कासित कर देने वाले कुफ़्र अक्बर की क्रिस्में (भेद) :

उलमा (धर्म-ज्ञानियों) ने कुफ़्र को कई भेदों में विभाजित किये हैं जिन के अन्तरगत कुफ़्र की बहुत सारी शकलें और क्रिस्में आती हैं और वो निम्नलिखित हैं :

1- इंकार और झुठलाने का कुफ़्र : यह कुफ़्र कभी दिल से झुठलाने के द्वारा होता है -इब्नुल कैयिम रहिमहुल्लाह के कथनानुसार कुफ़्र के अंदर यह कुफ़्र कम पाया जाता है- और कभी जुबान या अंगों के द्वारा झुठलाने के द्वारा होता है, और वह इस प्रकार कि हक़ (सत्य) का ज्ञान रखते हुये और बातिनी (आंतरिक) तौर पर उसकी जानकारी रखते हुए भी हक़ को छुपाना और ज़ाहरी तौर पर उसकी ताबेदारी न करना, जैसेकि यहूदियों ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ कुफ़्र किया, अल्लाह तआला ने उनके बारे में फरमाया है : "जब उनके पास वह आ गया जिसे वो जानते थे तो उन्होंने ने उस के साथ कुफ़्र किया।" (सूरतुल बकरा : 89) तथा अल्लाह तआला ने फरमाया : "उन में का एक दल जानते हुए भी हक़ को छुपाता है।" (सूरतुल बकरा : 146) इसका कारण यह है कि झुठलाना उसी आदमी की तरफ से संभव है जो हक़ को जानता हो फिर उसे नकार दे। इसी लिए अल्लाह तआला ने इस बात का खण्डन किया है कि कुफ़्र (मक्का के नास्तिकों) का

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह
अल-मुनज्जिद

रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को झुठलाना सच्चाई पर आधारित और बातिनी तौर पर (दिल की गहराई से) था, बल्कि उनका झुठलाना मात्र जुबान से था, चुनाँचि अल्लाह तआला ने फरमाया : "नि :सन्देह यह लोग आप को झूठा नहीं कहते हैं, परन्तु ये ज़ालिम लोग अल्लाह की आयतों को नकारते हैं ।" (सूरतुल अंआम :33) तथा फिरौन और उसकी क्रौम के बारे में फरमाया : "उन्होंने ने उसका इनकार कर दिया हालाँकि उनके दिल विश्वास कर चुके थे, अत्याचार और घमण्ड के कारण ।" (सूरतुन्नम्ल :14)

इसी कुफ्र से संबंधित किसी हराम चीज़ को हलाल समझने का कुफ्र भी है, चुनाँचि जिस ने किसी ऐसी चीज़ को हलाल ठहरा लिया जिसका शरीअत में हराम होना ज्ञात (निश्चित) है, तो उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की लाई हुई शरीअत को झुठला दिया, और यही हुक्म उस आदमी का भी है जिस ने शरीअत में किसी हलाल चीज़ को हराम करार दिया ।

2- मुँह फेरने और घमण्ड करने का कुफ्र : जैसे कि इबलीस का कुफ्र था जिस के बारे में अल्लाह तआला फरमाता है : "सिवाय इबलीस के कि उस ने इनकार किया और धमण्ड किया और काफिरों में से हो गया ।" (सूरतुल बकरा :34)

और जैसा कि अल्लाह तआला का फरमान है : "और वो लोग कहते हैं कि हम अल्लाह तआला पर और रसूल पर ईमान लाये और हम ने आज्ञा पालन किया, फिर इसके बाद भी उन में का एक दल मुँह फेर लेता है, वो लोग ईमान वाले (विश्वासी) नहीं हैं ।" (सूरतुन्नूर :47) इस आयत में अल्लाह तआला ने उस आदमी के ईमान का इनकार किया है जो अमल करने से उपेक्षा करे, यद्यपि उस ने कथन से ईमान का इकरार किया हो । इस से स्पष्ट हो गया कि मुँह फेरने का कुफ्र यह है कि : इंसान हक़ को छोड़ दे, न तो उस को सीखे और न ही उस पर अमल करे, चाहे वह कथन के द्वारा हो या कर्म के द्वारा हो, या आस्था (दिल के विश्वास) के द्वारा हो । अल्लाह तआला फरमाता है : "काफिर लोग जिस चीज़ से डराये जाते हैं, मुँह फेर लेते हैं ।" (सूरतुल अह्काफ :3) अतः : जिस आदमी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की लाई हुई बातों से अपने कथन के द्वारा मुँह फेर लिया जैसे कि किसी ने कह दिया कि मैं उस का पालन नहीं करता, या कर्म के द्वारा उपेक्षा किया जैसे कि कोई आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के द्वारा लाये हुए हक़ को सुनने से भागे और मुँह फेर ले, या अपनी दोनों अंगुलियों को दोनों कानों में डाल ले ताकि हक़ को न सुन सके, या उसे सुने तो, परन्तु उस पर दिल से विश्वास करने से उपेक्षा करे, और अपने अंगों से उस पर अमल करने से मुँह फेर ले, तो उसने एराज़ (उपेक्षा करने और मुँह फेर लेने) का कुफ्र किया ।

3- निफाक़ (पाखंड) का कुफ्र : लोगों को दिखाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आज्ञा पालन करना, लेकिन दिल से उसे सच्चा न

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह
अल-मुनज्जिद

मानना और न ही दिल से अमल करना जैसे कि इब्ने सलूल और अन्य शेष मुनाफिकों (पाखंडियों) का कुफ्र था जिन के बारे में अल्लाह तआला ने फरमाया है : "कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और परलोक (आखिरत के दिन) पर ईमान रखते हैं, हालांकि वे ईमान वाले नहीं हैं, वे अल्लाह तआला और मोमिनों को धोखा देते हैं, हालांकि वास्तव में वे केवल अपने आप को धोखा दे रहे हैं, लेकिन वे समझते नहीं।" (सूरतुल बकरा :8-20)

4- सन्देह और शंका का कुफ्र : इस से अभिप्राय यह है कि हक़ का अनुपालन करने में सन्देह करना या उसके हक़ होने में सन्देह करना, क्योंकि आवश्यक तो यह है कि इस बात पर यकीन और विश्वास हो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जो कुछ लेकर आये हैं वह हक़ है, उस में कोई सन्देह नहीं है, अतः जिस ने इस बात को वैध ठहराया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जो कुछ लेकर आये हैं वह हक़ नहीं है तो उसने शक या गुमान का कुफ्र किया, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है : "और वह अपने बाग में गया और था अपनी जान पर जुल्म करने वाला, कहने लगा कि मैं गुमान नहीं कर सकता कि कभी भी यह बरबाद हो जाये। और मैं तो यह भी गुमान नहीं करता कि क्रियामत कायम होगी, और अगर मान भी लूँ कि मैं अपने रब की तरफ लौटाया भी गया तो यकीनन मैं (उस लौटने की जगह को) इस से भी अच्छी जगह पाऊँगा। उसके साथी ने उससे बातें करते हुये कहा कि क्या तू उस परवरदिगार का मुन्किर है जिसने तुझे (पहले) मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फे (वीर्य) से फिर तुझे पूरा आदमी (इंसान) बना दिया। लेकिन मैं (तो विश्वास रखता हूँ कि) वही अल्लाह मेरा परवरदिगार है और मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को भी साझीदार नहीं बनाऊँगा।" (सूरतुल कहफ़ :35-38)

ऊपर विर्णत बातों का सारांश यह निकला कि कुफ्र -जो कि ईमान का विलोम शब्द है- कभी दिल से झुटलाने का नाम होता है, इस प्रकार वह दिल के कथन अथाऽत् उसकी पुष्टि (तस्दीक) के विपरीत है, तथा कभी-कभार कुफ्र दिल का एक कार्य (अमल) होता है जैसे कि अल्लाह तआला या उसकी आयतों, या उसके पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से बुग़ज़ (द्वेष) रखना, और यह ईमानी महब्वत (विश्वास पूर्ण या विश्वसनीय महब्वत) के विपरीत और विरुद्ध है जो कि हृदय का सबसे महत्वपूर्ण और पक्का कार्य है। इसी तरह कुफ्र कभी प्रत्यक्ष कथन होता है जैसे अल्लाह को गाली देना (बुरा-भला कहना), और कभी प्रत्यक्ष कार्य होता है जैसे कि मूर्ति को सज्दा करना और अल्लाह के अलावा किसी दूसरे के लिए पशु की बलि देना। चुनाँचि जिस प्रकार कि ईमान दिल, जुबान और शारीरिक अंगों के द्वारा होता है, उसी तरह कुफ्र भी दिल, जुबान और शरीर के अंगों द्वारा होता है।

अल्लाह तआला से हमारी प्रार्थना है कि वह हमें कुफ्र और उसकी शाखाओं से अपने शरण में रखे, हमें ईमान के श्रृंगार से सुसज्जित कर दे, और हमें निर्देशित (मार्गदर्शन-प्राप्त) मार्गदर्शक बना दे ... आमीन। और अल्लाह तआला ही सर्वश्रेष्ठ जानने वाला है।

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह
अल-मुनज्जिद

देखिये : (आलामुस्सुन्नह अल-मन्शूरह पृ0 177) तथा (नवाकिज़ुल-ईमान अल-कौलिय्यह वल-अम-लिय्यह, लेखक :
अब्दुल अज़ीज़ आल अब्दुल्लतीफ पृ0 36-46) तथा (ज़वाबितुत्तक्फ़ीर, लेखक : अब्दुल्लाह अल-कर्नी पृ0 183-196)